न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 27/2018

श्रीमती बिमला देवी आयु 55 वर्ष स्त्री स्व. अमरसिंह, जाति राजपूत निवासी संजयनगर, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम श्रीमती विमला देवी अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 125/2017 निर्णय दिनांक 29.12.2017

उपस्थितिः—

1 .श्री शिवनारायण सिंह , एडवोकेट ——— ——— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 29.07.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.12.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीमती विमला देवी मु0नं0 125/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—जमीन खसरा नंबर 2283 रकबा 5.57 हैक्टर वाके ग्राम संजयनगर को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन पहाड़ दर्शायी गई है। यह भूमि अपीलांट के पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त में रही है, जहां पहले पहाड़ स्थित रहा जिसे पूर्वजों द्वारा समतल किया जाकर काफी मेहनत व रूपये खर्च कर करीब 25 साल पहले इस भूमि के चारों तरफ अपीलांट के पति व उनके भाई द्वारा पत्थरों की दिवार बनायी हुई है जो मौजुद है, जिस पर आज भी कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि खसरा नंबर 2283 के दक्षिण में अपीलांट के पूर्वजों द्वारा अनादिकाल से मकान बनाकर उनमें रिहायश करते आ रहे हैं। बाद में सेटलमेंट के दौरान उक्त रिहायशी पुराने मकानों के खसरा नंबर 2279 व 2280 पड़े जिनकी किस्म पुनः गेरमुमकिन पहाड़ गलत दर्ज कर

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

दी गई, जब कि उक्त दोनों खसरा नंबरान में पुराने समय से मकानात बनाये जाकर उनमें अपीलांट/गेरसायल द्वारा मय परिवार पूर्वजों के समय से लगातार रिहायश की जा रही है। अपीलांट व अन्य की जोत की भूमि खसरा नंबर 4291/2283 रकबा 5.41 हैक्टर भूमि में ही इस भूमि के 0.30 हैक्टर भाग में अपीलांट काश्त करती है जो भूमि पूर्वजों के समय से ही काश्त होती आ रही है। अपीलांट ने मुख्यमंत्री महोदया को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी की भूमि व रिहायशी गुवाड़ी का नियमन करवाये जाने का निवेदन किया जिस पर अदालत मातहत के द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगे जाने पर पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नंबर 4291/2283 में से 0.30 हैक्टर खसरा नंबर 2280 का रकबा 0.10 हैक्टर के बजाय 0.01 हैक्टर व खसरा नंबर 2279 रकबा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम संजयनगर पर गलत रूप से सम्वत 2074 के दौरान छड़ीव जोत कर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया जाना बतलाते हुये रिपोर्ट दिये जाने पर अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस दिया गया जिस पर अपीलांट द्वारा अपने पुराने कब्जे के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया,लेकिन अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानते हुये अपीलांट को बेदखली का आदेश दिनांक29.12.2017 पारित कर दिया। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट देने से पूर्व न तो संबंधित राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया और ना ही मौके पर जाकर जांच की गई कि इस खसरा नंबर की भूमि पर किसा व कितने रकबा पर किस प्रकार से कब्जा है। भूमि खसरा नंबर 2279 रकबा 0.08 हैक्टर व खसरा नंबर 2280 रकबा 0.10 हैक्टर एक दूसरे से सटी हुई हैं तथा उक्त दोनों खसरा नंबरान की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलांट उसके पुत्रगण बिरजूसिंह,शेरसिंह वगैरह व अपीलांट के जेठ लक्ष्मण सिंह की पूर्वजों के समय से पुख्ता रिहायशी मकानात बनाये हुये हैं तथा पीढियों से अपीलांट मय परिवार व अपीलांट का जेठ लक्ष्मण सिंह आबाद चले आ रहे हैं, इसके बावजूद हल्का पटवारी ने खसरा नंबर 2280 का वास्तविक रकबा कम अंकित किया है व खसरा नंबर 2280 व 2279 की भूमि पर छड़िया व जोत कर अतिक्रमण किया जाना गलत अंकित किया गया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि की किस्म गैर मु0 पहाड़ बताई गई है जिसको अपीलांट द्वारा समतल कर भूमि को काश्त योग्य बनाया गया है। मौके की स्थिति आज भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को स्वयं मौके का निरीक्षण कर मौके की वास्तविक स्थिति रिकार्ड पर लेकर पटवारी हल्का के बयान लेकर अपीलांट को जिरह का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए था। अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उलंघन कर अपनी मनमर्जी का आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत के आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांक 29.12.2017 को अपास्त फरमाया जाये और अपीलांट के विरूद्ध की गई कार्यवाही अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 को ड्रोप फरमाया जाये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- विवादित जगह पर अपीलांट का पुराना पूर्वजों के समय से कब्जा है। भूमि पहले पहाड़ थी जिसको खर्चा करके काश्त योग्य बनाया गया है। करीब 25 साल पहले से दिवार बनाई हुई है पूरा परिवार पूर्वजों के समय से वहां आबाद होकर काश्त करता आ रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुराने कब्जे के आधार पर अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरित होने से खारिज होने योग्य हे। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत के आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांक 29.12.2017 को अपास्त फरमाया जाये और, अपीलांट के विरूद्ध की गई कार्यवाही अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 को ड्रोफ फरमाया जाये।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से साबित है कि अपीलांट की विधिवत रूपसे तामील हुई है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है परन्तु पुराने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट ने

५१

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैद्य साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2017 उनवानी सरकार बनाम श्रीमती बिमला मु0नं0 125/2017 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अपर कलेक्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू